भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं2272 .

जिसका उत्तर सोमवार9 दिनांक , दिसंबर ,2024/18 अग्रहायण 1946(शकको दिया जाना है (

जीएसटी लक्ष्य

2272. श्री राजेश रंजन:
डॉअमर सिंह .:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

वार कुल-वार और राज्य-माल और सेवा कर अधिनियम के लागू होने से लेकर अब तक सरकार द्वारा वर्ष (क) कितना माल और सेवा कर एकत्र किया गया है;
माल और सेवा कर अधिनियम के लागू होने से लेकर अब तक एकत्र किए गए माल और सेवा कर में से केन्द्र सरकार द्वारा (ख) वार और-वर्ष राज्यअपने पास रखा गया है (जीएसटी) वार कुल कितना माल और सेवा कर-;
वार -वार और राज्य-माल और सेवा कर अधिनियम के लागू होने से लेकर अब तक एकत्र किए गए जीएसटी से राज्यों को वर्ष (ग) कुल कितना जीएसटी प्रदान किया गया है; और
सरकार द्वारा माल और सेवा कर राजस्व व (घ)ृद्धि में कमीको दूर ,जो केन्द्रीय बजट में उल्लिखित अनुमानों से कम हो गई है , करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): वित्त वर्ष 2017-18 (जुलाई 17 से मार्च 18) से वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर, 2024 तक) तक संघ और राज्यों द्वारा एकत्रित सकल जीएसटी (सीजीएसटी + एसजीएसटी + आईजीएसटी + उपकर) का ब्यौरा अनुलग्नक '**क**' के अनुसार दिया गया है।

जीएसटी संग्रहण में सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी शामिल है जो माल या सेवाओं की अंतर-राज्यीय (इंटरा-स्टेट) या अंतर-राज्यीय (इंटर-स्टेट) आपूर्ति पर निर्भर करता है। एकत्र किए गए सीजीएसटी को भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जमा किया जाता है, जबकि एकत्र किए गए एसजीएसटी को सीधे संबंधित राज्यों के समेकित कोष में जमा किया जाता है। जहां तक आयात सहित माल या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति का संबंध है, केंद्र द्वारा आईजीएसटी लगाया और एकत्र किया जा रहा है। इस प्रकार माल और सेवा कर निधि समझौता नियम, 2017 के तहत एकत्र किए गए आईजीएसटी को संघ और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच मासिक आधार पर उपभोग के स्थान और क्रॉस उपयोग के आधार पर विभाजित/निपटान किया जाता है। अविभाजित आईजीएसटी की राशि के आधार पर, समय-समय पर अनंतिम/अग्रिम निपटान किया जाता है। उपकर संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है तथा इसे क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2017-18 (जुलाई 17 से मार्च 18) से वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर, 2024 तक) तक केंद्र सरकार द्वारा प्रतिधारित निवल जीएसटी (सीजीएसटी + आईजीएसटी (राज्यों को दिए जाने के बाद केंद्र के पास शेष) अनुलग्नक '**ख**' के अनुसार दिया गया है।

(ग): वित्त वर्ष 2017-18 (जुलाई 17 से मार्च 18) से वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर, 2024 तक) तक जीएसटी में राज्यों का हिस्सा (राज्यों को सकल एसजीएसटी + आईजीएसटी निपटान जिसमें तदर्थ निपटान शामिल है + एक के बाद एक ऋण सहित राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति) अनुलग्नक '**ग**' के अनुसार दिया गया है।

(घ): सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर जीएसटी में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर अनुपालन में सुधार के लिए उपाय जैसे ई-वे बिल, आईटीसी मिलान, बी2सी आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-इनवॉयस को अनिवार्य बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन-आधारित एनालिटिक्स की तैनाती, पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण, गैर-फाइलरों और स्टॉफ फाइलरों पर कैलिब्रेटेड कार्रवाई, जोखिम भरे करदाताओं पर लक्षित मूल्यांकन-आधारित कार्रवाई आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-क

वित्त वर्ष 2017-18 (जुलाई 17 से मार्च 18) से वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर, 2024 तक) तक सकल जीएसटी संग्रहण

(करोड़ रुपए में)

राज्य कोड	राज्य	2017-18 (17 जुलाई से 18 मार्च)	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (नवंबर, 2024 तक)
1	जम्मू और कश्मीर	2,320	3,792	4,010	3,648	4,692	5,246	6,704	4,861
2	हिमाचल प्रदेश	5,309	7,593	7,960	7,055	8,023	8,778	9,956	7,021
3	पंजाब	9,649	13,979	15,235	13,913	18,406	20,949	24,061	17,769
4	चंडीगढ़	1,170	1,779	1,988	1,651	1,979	2,365	2,771	1,944
5	उत्तराखंड	10,967	15,150	14,722	12,339	13,680	16,845	19,231	14,070
6	हरियाणा	36,815	55,233	59,560	54,890	68,142	86,668	1,02,914	78,102
7	दिल्ली	26,445	39,845	44,161	36,568	46,253	55,843	66,445	52,980
8	राजस्थान	18,463	30,722	32,821	31,797	38,480	45,458	50,174	35,436
9	उत्तर प्रदेश	36,891	61,337	65,281	59,721	73,865	87,970	1,01,693	75,468
10	बिहार	5,531	10,755	12,640	11,638	13,534	16,548	18,021	12,760
11	सिक्किम	1,186	1,917	2,248	2,266	2,811	3,156	3,707	2,696
12	अरुणाचल प्रदेश	120	398	581	651	710	1,023	1,308	765
13	नगालैंड	104	227	317	389	420	566	711	426
14	मणिपुर	122	309	435	392	551	615	670	490
15	मिजोरम	67	213	296	257	316	419	500	361
16	त्रिपुरा	305	556	680	732	777	884	1,053	747
17	मेघालय	648	1,368	1,522	1,337	1,764	2,076	2,260	1,344
18	असम	4,969	8,989	10,423	10,030	12,007	13,710	15,602	11,417
19	पश्चिम बंगाल	23,333	39,780	43,386	39,694	47,898	58,060	62,613	44,246
20	झारखंड	14,162	23,916	22,847	20,482	27,854	32,019	34,738	23,905
21	ओडिशा	14,849	26,952	29,677	29,844	44,335	49,442	54,748	39,612
22	छत्तीसगढ	13,008	22,932	24,160	24,419	29,571	31,968	34,874	24,119
23	मध्य प्रदेश	15,544	25,683	28,354	27,005	31,255	36,232	42,174	29,438
24	गुजरात	45,905	73,440	78,923	74,346	97,155	1,14,221	1,25,168	90,838
25	दमन और दीव	922	1,105	1,155	305	5	3	3	1
26	दादरा और नगर हवेली	1,218	1,718	1,810	2,349	3,141	3,771	4,333	2,896
27	महाराष्ट्र	1,05,186	1,70,289	1,85,917	1,65,308	2,17,993	2,70,346	3,20,117	2,36,089
29	कर्नाटक	48,138	78,763	83,408	75,660	95,926	1,22,822	1,45,266	1,05,070
30	गोवा	2,772	4,103	4,280	3,270	4,364	5,520	6,475	4,592
31	लक्षद्वीप	7	20	20	13	18	21	45	14
32	केरल	10,857	16,343	19,234	17,349	22,264	27,371	30,677	21,822
33	तमिलनाडु	45,318	70,562	74,430	69,121	85,492	1,04,377	1,21,329	86,173
34	पुदुचेरी	1,317	1,924	1,871	1,646	1,824	2,373	2,636	1,893
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	162	297	361	255	332	373	428	287
36	तेलंगाना	21,348	36,408	39,820	36,346	45,081	51,831	59,942	41,065
37	आंध्र प्रदेश	14,327	25,331	27,108	26,163	32,710	40,232	44,298	30,056
38	लद्दाख	-	-	-	114	207	333	481	345
97	अन्य क्षेत्र	556	2,484	1,753	1,337	1,590	2,609	2,615	1,645
99	केंद्र का अधिकार क्षेत्र	80	580	1,003	1,541	2,121	1,941	2,507	2,054
	जीएसटी संग्रह (घरेलू)	**5,40,092**	**8,76,794**	**9,44,397**	**8,65,841**	**10,97,546**	**13,24,984**	**15,23,248**	**11,04,816**
	आयात	2,00,558	3,00,575	2,77,719	2,70,964	3,85,746	4,82,695	4,95,001	3,51,893
	कुल जीएसटी संग्रह	**7,40,650**	**11,77,369**	**12,22,116**	**11,36,805**	**14,83,292**	**18,07,679**	**20,18,249**	**14,56,709**

अनुलग्नक ख

<u>वित्त वर्ष 2017-18 (जुलाई 17 से मार्च 18) से वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर, 2024 तक) तक केंद्र सरकार द्वारा प्रतिधारित निवल (सीजीएसटी + आईजीएसटी (सीजीएसटी का निपटान))</u>

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	कुल
2017-18	3,79,949
2018-19	4,86,478
2019-20	5,03,197
2020-21	4,63,586
2021-22	5,93,346
2022-23	7,23,270
2023-24	8,15,520
2024-25 (नवंबर, 2024 तक)	5,11,151

* केंद्र और राज्यों द्वारा प्रतिधारित राशि सकल जीएसटी संग्रहण से मेल नहीं होगी क्योंकि केंद्र द्वारा प्रतिधारित राशि में एकत्रित उपकर, जो राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है, शामिल नहीं है।

अनुलग्नक ग

राज्यों को दिया गया सकल एसजीएसटी + आईजीएसटी (तदर्थ निपटान सहित) + राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति मुआवजा*

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (17 जुलाई से 18 मार्च)	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (नवंबर, 2024 तक)
1	जम्मू और कश्मीर	3,748	6,601	7,041	9,335	11,171	7,690	8,093	5,932
2	हिमाचल प्रदेश	2,372	5,472	5,510	7,130	8,570	6,836	5,672	4,229
3	पंजाब	11,938	20,703	22,104	30,717	33,403	27,291	25,777	16,507
4	चंडीगढ़	864	1,543	1,443	1,201	1,693	2,124	2,314	1,576
5	उत्तराखंड	3,894	6,917	7,477	9,529	10,969	9,690	8,880	6,331
6	हरियाणा	12,044	21,863	24,936	28,940	35,390	33,528	38,406	26,246
7	दिल्ली	13,782	23,629	27,321	27,958	35,967	41,101	33,303	24,391
8	राजस्थान	14,788	25,517	26,767	31,881	39,558	39,274	40,538	28,658
9	उत्तर प्रदेश	27,579	46,940	52,961	59,805	72,789	77,343	80,719	56,687
10	बिहार	9,787	17,862	19,346	24,435	28,138	23,568	28,020	18,817
11	सिक्किम	199	408	482	463	658	839	951	646
12	अरुणाचल प्रदेश	239	600	802	871	1,135	1,623	1,902	1,188
13	नगालैंड	188	470	613	678	833	964	1,057	699
14	मणिपुर	326	694	853	889	1,129	1,439	1,095	783
15	मिजोरम	170	455	532	554	728	892	963	633
16	त्रिपुरा	609	1,133	1,198	1,562	1,788	1,463	1,583	1,139
17	मेघालय	500	879	1,011	1,116	1,441	1,490	1,746	1,187
18	असम	4,963	8,867	9,648	10,981	13,432	13,063	14,691	10,352
19	पश्चिम बंगाल	16,782	29,347	32,072	36,395	43,177	47,280	41,976	31,661
20	झारखंड	5,389	9,230	9,950	11,641	13,713	13,555	12,622	9,363
21	ओडिशा	8,647	15,774	17,392	22,004	26,180	21,500	24,942	17,815
22	छत्तीसगढ	5,869	10,479	11,009	14,386	15,765	13,856	14,482	10,271
23	मध्य प्रदेश	12,329	22,323	23,931	28,597	32,887	32,397	36,413	23,674
24	गुजरात	25,265	42,870	46,557	53,992	69,685	65,964	74,695	48,096
25	दमन और दीव	144	270	210	120	91	41	1	1
26	दादरा और नगर हवेली	269	440	430	569	1,004	1,142	1,081	844
27	महाराष्ट्र	52,364	94,168	1,00,478	1,06,054	1,37,443	1,53,250	1,57,733	1,14,677
29	कर्नाटक	30,551	53,645	58,162	67,858	81,279	85,867	76,378	54,922
30	गोवा	1,716	3,033	3,303	3,618	4,614	5,124	4,463	3,037
31	लक्षद्वीप	7	22	28	26	32	47	82	70
32	केरल	14,064	24,003	25,659	31,764	36,581	36,434	31,611	21,859
33	तमिलनाडु	25,539	44,918	50,291	55,293	63,708	74,409	70,408	51,430
34	पुदुचेरी	852	1,511	1,650	2,123	2,381	1,884	1,385	1,045
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	162	356	410	345	408	484	528	378
36	तेलंगाना	13,242	24,032	26,338	29,320	37,069	42,070	41,275	29,186
37	आंध्र प्रदेश	11,208	20,746	22,187	25,019	30,723	33,159	31,606	22,162
38	लद्दाख	0	0	0	179	326	517	653	528
97	अन्य क्षेत्र	224	320	625	562	356	721	1,123	554
	कुल	**2,91,466**	**5,18,765**	**5,20,227**	**4,90,714**	**6,39,714**	**7,70,749**	**8,74,222**	**6,42,064**

* केंद्र और राज्यों द्वारा प्रतिधारित राशि सकल जीएसटी संग्रहण से मेल नहीं होगी क्योंकि राज्यों द्वारा प्रतिधारित राशि में वर्ष के दौरान एकत्रित उपकर से राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति भी शामिल है।